(c) As Indian Iron & Steel Company Limited (IISCO) has been referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), any scheme to be taken up for modernisation of IISCO will have to be in accordance with the orders of the BIFR in this regard. Regarding the present status, SAIL, as advised by the Government, has submitted to the BIFR in the hearing on 18/07/1996 that it would explore the possibility of revival/ modernisation of IISCO through a Joint Venture arrangement, subject to SAIL continuing to retain majority shareholding in the Joint Venture.

Disinvestment of Shares of Public Sector Undertakings

796. SHRI ASHOK MITRA: Wll the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to a study by the Indira Gandhi Institute for Research and Development suggesting that the first three rounds of disinvestment of shares of public undertakings has involved a loss for Government to the extent of Rs. 10,000 crore;

(b) whether any enquiry is proposed to check the veracity of this finding; and

(c) measures proposed to prevent similar losses from disinvestment activities, should these be resumed?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The reference to loss in first three rounds of disinvestment of PSU shares by the Indira Gandhi Institute for Research and Development, Bombay, in their Midyear review of the Economy 1994-95 is not based on a proper appreciation of facts. The matter has been looked into by the Public Accounts Committee of the Parliament.

रोजगार में वृद्धि की दर में कमी

797. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मगंरोला:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1989 के बाद से रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा पंचवर्षीय अंतराल में किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी के व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं। रोजगार एवं बेरोजगारी पर एन एस एस ओ का 43वां सर्वेक्षण 1987-88 में आयोजित किया गया एन एस एस ओ द्वारा व्यापक सर्वेक्षण का आगामी 50 वां सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया है, जिसके परिणामों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। एन० एस० एस० ओ० के 50 वें सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने पर ही रोजगार वृद्धि के वर्तमान रूप का पता चल सकेगा।

(ग) आठवीं योजना की कृषि क्षेत्र संबंधी रोजगार नीति में कृषि का तीव्रतर एवं भौगोलिक रूप से विविधीकृत विकास ताकि अब तक के पिछड़े क्षेत्रों में कृषि-विकास संबंधी अधिक अंशदान हो, उच्च स्तर को कृषि का विविधीकरण, अधिक श्रम-गहन फसलें जैसे सब्जी एवं फल विशेषत: उच्च विकसित कृषीय क्षेत्रों में, डेरी, मुर्गी-पालन, मत्स्य पालन एवं कोशकीट पालन जैसे कृषि आधारित तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए आधारभूत संरचना एवं विपणन व्यवस्था का विकास करना, उपज तथा वानिकी हेतु बंजर भूमि के विकास एवं उपयोग हेतु एक विस्तृत कार्य-क्रम सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों हेतु योजनाएं

798. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कुछ और कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य में कृषि कर्मकारों के लिए संघ सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी योजनाएं नहीं हैं। तथापि, कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलायी जा रही है कुछ प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:—

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)— इस योजना के अंतर्गत, आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न-भिन्न दरों पर आवधिक ऋण शामिल हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या क्रमशः 181083, 242673 और 210560 है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)—इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान रोजगार सृजन क्रमशः 709.66, 769.25 और 408.03 लाख श्रम दिवस था। इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है।

(iii) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)—इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०)— 2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किये गये पिछड़े ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना नामक एक नई योजना देश में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि सीजन में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। यह योजना अब 2443 ब्लाकों के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति 2025 लाख श्रम दिवस थी।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरुचि के अनुरूप आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने 18—60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि कर्मकारों को बीमा परिधि में लाने के लिए एल आई सी की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना और 1988 में आई आर डी पी लाभानुभोगियों के लिए बीमा योजना जैसी अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें विविध पात्रता मानदंडों और पेंशन दरों के साथ वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं। हाल में, सरकार ने तीन संघटकों अर्थात् वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आजीविका चलाने वाले मुखिया की मृत्यु के मामले में उत्तर जीवियों को लाभ और गरीब महिलाओं के लिए पहले दो जीवित बच्चों हेतु प्रसूति प्रसुविधा वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना चलायी है जिससे कृषि कर्मकारों को भी पर्याप्त लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कृषि कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मुहैया कराने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने और उसे लागू करने पर भी विचार कर रही है।

Abolition of system of disposal of nightsoil by hand

799. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state: